न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 07/2023

अनवान : -

1. अमरचन्द पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी राजपुरा त0 भादरा।

-प्रार्थी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी भादरा त0 भादरा।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी भादरा त0 भादरा।
3.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री कृष्ण गर्ग **प्रार्थी**

श्री संजय स्वामी **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांक: 25/05/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता सं0 5/3 के मु0न0 51 के किला न0 15, 16 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 0.5060है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी प्रकार अप्रार्थीगण के नाम प्रार्थी के चिपते ही उतरी तरफ चक 3 के आर पी के खाता सं0 19/35 के मु0न0 49 के किला न0 16/1, 17/1, 24/1, 25 मु0न0 51 के किला न0 4/1 किला न0 5, 6 किला न0 7/1 की कुल 1.2640है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के मु0न0 49 के किला न0 25 व मु0न0 51 के किला न0 5-6 से उतर से दक्षिण की तरफ सदामत से आवागमन करता आ रहा है। और इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में पहुचने के लिए रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने पर सहमती प्रकट की है तथा उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थी से अप्रार्थीगण ने राशि पूर्व में लेना स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता सं0 19/35 के मु0न0 49 के किला न0 25 तथा मु0न0 51 के किला न0 5–6 में उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/05/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़